संख्या 2/24/97-पी.आई.सी.

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग

नई दिल्ली, दिनांक अक्टूबर /6 , 2000

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सचिवालय सेवा की 2500-4000 रुपये (संशोधन-पूर्व) ग्रेड में मध्यवर्ती वेतनमान समाप्त किए जाने की माँग- डैस्क-भत्ते की दर का संशोधन ।

पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 45.25 और 45.26 में यह सिफ़ारिश की है कि भारत-सरकार के मुख्यालय-संगठनों के डैस्क अधिकारियों को किसी विशेष वेतन के बिना संशोधन से पहले का 2500-4000 रुपए का (एस-14 वेतनमान) और 7500-12000 रुपए का प्रतिस्थापन वेतनमान दिया जाए । तथापि, एस-14 का नया मध्यवर्ती ग्रेड लागू किए जाने के विरुद्ध केन्द्रीय सचिवालय सेवा-संघों से मिले अभिवेदनों पर विचार करके सरकार ने एस-14 वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय सेवा में तथा उन अन्य मुख्यालय -सेवाओं में नहीं लागू करना तय किया, जिनके संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी उपर्युक्त नया वेतनमान लागू नहीं करना चुनें ।

2. डैस्क अधिकारियों के संबंध में एस-14 वेतनमान लागू नहीं किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप उन्हें विशेष वेतन-स्वरूप उपयुक्त धनराशि मंजूर किए जाने का मुद्दा, सरकार के विचाराधीन रहा है । अब, डैस्क अधिकारियों के रूप में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को इस समय देय 150/- रुपए प्रति माह का, डैस्क-भत्ते के रूप में पुनर्नामित कर दिया गया विशेष वेतन, अगस्त 01, 1997 से संशोधित करके 300/- रुपए प्रति माह कर देना तय किया गया है ।

(श्रीमती भवानी त्यागराजन)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. प्रतिलिपि मानक सूची के अनुसार ।
3. वित्त-मंत्रालय, व्यय-विभाग (ध्यान आमंत्रित, संयुक्त सचिव (कार्मिक)) ।
4. संयुक्त सचिव (आई.सी.), व्यय-विभाग ।